सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

रामगढ़ मास्टर प्लान

2011–2031

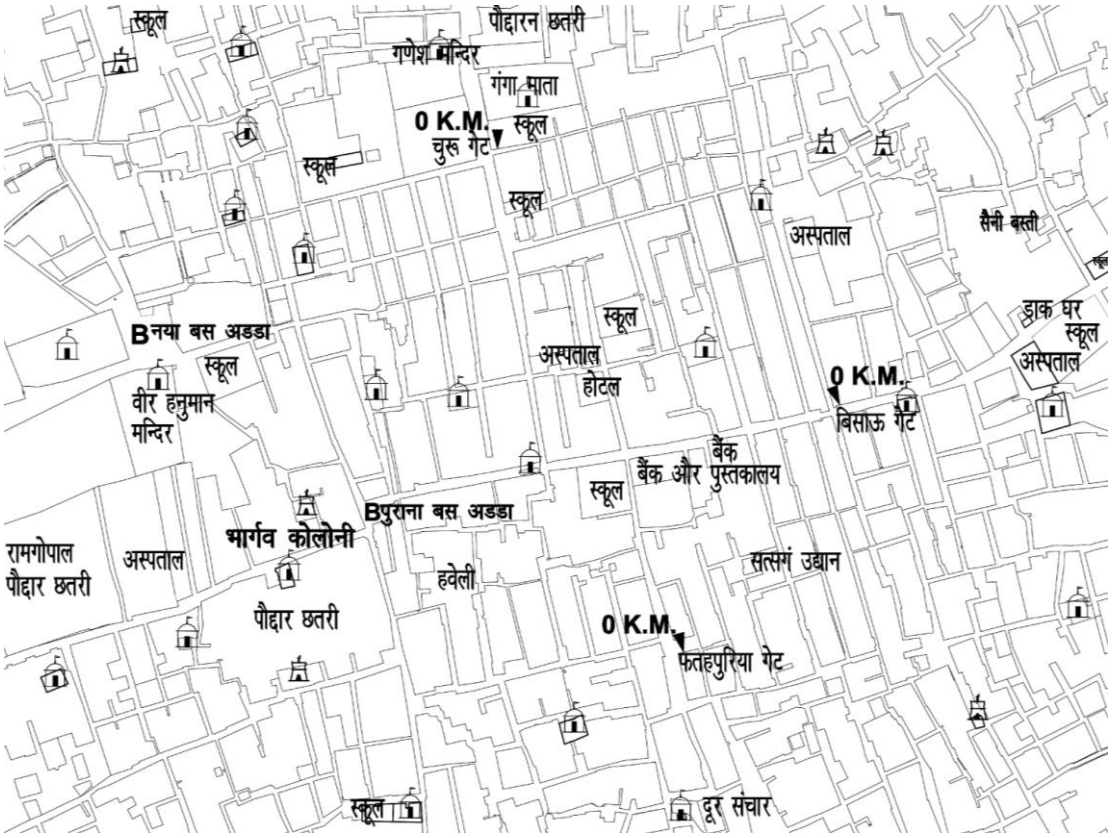

नगर नियोजन विभाग,

राजस्थान,जयपुर।

राजस्थान सरकार

रामगढ़ मास्टर प्लान

2011 -2031

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 के अर्न्तगत तैयार किया गया)

आवास विकास लिमिटेड
जयपुर

मैसर्स सृष्टि -अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट लि.
नई दिल्ली 110017

नगर नियोजन विभाग,

राजस्थान,जयपुर।

आभार

रामगढ़ नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में रामगढ़ के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एंव संस्थाओं को अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस नगर के सुनियोजित विकास हेतु योजना तैयार करने में प्रदान किया ।

मैं जिला कलेक्टर सीकर, उपतहसीलदार, रामगढ़ एंव नगर पालिका, रामगढ़ का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान के प्रारूप को तैयार करने में समय-समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया ।

प्रारूप मास्टर प्लान को बनाने में विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए सभी वांछनीय सर्वेक्षण तथा सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सम्बन्धित सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग,विद्युत वितरण निगम, उद्योग,जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, आदि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान के प्रारूप को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एंव परोक्ष सहयोग दिया है।

राज्य सरकार के सलाहकार मैसर्स आवास विकास लिमिटेड़ तथा उनके सहयोगी मैसर्स सृष्टि अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट लि. नई दिल्ली को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके सहयोग से इस प्रारूप मास्टर प्लान को तैयार किया जा सका।

अन्त में, मैं रामगढ़ के सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर को, मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढँग से विकसित करने में अपना सम्पूर्ण सहयोग देते रहेगे।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक
जयपुर जोन, जयपुर।

योजना-दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर

1. श्री प्रदीप कपूर	:	वरिष्ठ नगर नियोजक
2. श्री आर.के. तुलारा	:	उप नगर नियोजक
3. कुमारी प्रिया माथुर	:	सहायक नगर नियोजक
4. कुमारी ईशिता सैनी	:	जिला नगर नियोजक सीकर
5. श्री जयसिंह रत्नूँ	:	अन्वेषक
6. श्री आलोक माथुर	:	कनिष्ठ अभियंता
7. श्री नन्दकिशोर कुमावत	:	कार्यालय सहायक

सलाहकारः

आवास विकास लिमिटेड	:	4-स, 24 जवाहर नगर, जयपुर ।
1.श्री एस.डी. थानवी	:	चीफ जनरल मैनेजर, जयपुर ।

मैसर्स - सृष्टि अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	:	डी-2, पॉचवा तल, सदर्न पार्क साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

1. श्री वी.के.सोनी	:	प्रधान सलाहकार
2. श्री बलदेव सिंह	:	स्थानीय सलाहकार
3. सुभाष कुमार	:	प्रारूपकार
4. बंसत	:	कम्प्यूटर ऑपरेटर
5. श्री के.के.शर्मा	:	अन्वेषक

विषय –सूची

क्रम संख्या	विषय वस्तु			पृष्ठ संख्या
	आभार			(i)
	योजना दल			(ii)
	विषय सूची			(iii)
	तालिका सूची			(vi)
1.0	**परिचय**			**1**
2.0	**विद्यमान विशेषताएँ**			**3**
2.1	भौतिक स्वरूप और जलवायु			**3**
2.2	क्षेत्रीय परिदृश्य			**3**
2.3	ऐतिहासिक			**4**
2.4	जनांकिकी			**4**
2.5	व्यावसायिक संरचना			**5**
2.6	विद्यमान भू-उपयोग			**6**
	2.6(1)	आवासीय		**7**
	2.6(2)	वाणिज्यिक		**7**
	2.6(3)	औद्योगिक		**8**
	2.6(4)	राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय		**9**
	2.6(5)	आमोद-प्रमोद		**9**
	2.6(6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक		**10**
	2.6(6) अ		शैक्षणिक	**10**
	2.6(6) ब		चिकित्सा	**11**
	2.6(6) स		सामाजिक/सांस्कृतिक एवम् धार्मिक	**11**
	2.6(6) द		अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	**12**
	2.6(6) य		जनोपयोगी सुविधाएँ	**12**

	2.6(6)य(क)	जलापूर्ति	12
	2.6(6)य(ख)	जल मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण एवं प्रबन्धन	13
	2.6(6)य(ग)	विद्युत	13
	2.6(6) ह	श्मशान एवं कब्रिस्तान	14
	2.6.(7)	परिसंचरण	14
	2.6.(7)अ	यातायात व्यवस्था	14
	2.6.(7)ब	बस तथा ट्रक टर्मिनल	15
	2.6.(7)स	रेल सेवा	15
	2.7(1)	पर्यटन	15
	2.7(2)	वन एवं अभ्यारण्य	17
	2.7(3)	सांस्कृतिक सम्पदा	17
3.0	**नियोजन की संकल्पना**		18
3.1	नियोजन की नीतियाँ		19
3.2	नियोजन के सिद्धान्त		19
4.0	**भावी आकार**		22
4.1	जनांकिकी		22
4.2	व्यावसायिक संरचना		23
4.3	नगरीय क्षेत्र		24
4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		24
4.5	योजना क्षेत्र		25
	(अ)	उत्तरी योजना क्षेत्र	26
	(ब)	दक्षिणी योजना क्षेत्र	26
	(स)	पश्चिम योजना क्षेत्र	27
	(द)	परिधि नियन्त्रण पट्टी योजना क्षेत्र	27

5.0	**भू-उपयोग योजना**		**28**
5.1	आवासीय		**30**
5.2	वाणिज्यिक		**31**
	5.2 (1)	विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ	**32**
	5.2 (2)	वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)	**33**
	5.2 (3)	विशिष्ट एवं थोक व्यापार	**33**
5.3	औद्योगिक		**34**
5.4	राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय		**34**
5.5	आमोद-प्रमोद		**34**
5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ		**35**
	5.6 (1)	शैक्षणिक सुविधाऐं	**35**
	5.6 (2)	चिकित्सा सुविधाऐं	**35**
	5.6 (3)	धार्मिक /ऐतिहासिक स्थल	**36**
	5.6 (4)	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	**36**
	5.6 (5)	जनोपयोगी सुविधाएँ	**37**
	5.6 (5) अ	जलापूर्ति	**37**
	5.6 (5) ब	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन	**37**
	5.6 (5) स	विद्युत	**38**
	5.6 (6) श्मशान एवं कब्रिस्तान		**38**
5.7	परिसंचरण		**39**
	5.7 (1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	**39**
	5.7(1)अ	सड़को का सुधार	**40**
	5.7(1)ब	प्रस्तावित चौराहा सुधार	**40**
	5.7(1)द	पार्किंग व्यवस्था	**41**
	5.7 (2)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	**41**
	5.7 (3)	रेल एवं हवाई सेवा	**41**
	5.7 (4)	पर्यटन एवं विरासत संरक्षण	**41**

5.8	परिधि नियंत्रण पट्टी		**43**
5.9	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण		**43**
6.0	**मास्टर प्लान का क्रियान्वयन**		**45**
	6.1	प्रस्तावित आधार	**45**
	6.2	जन सहभागिता एवं जन-सहयोग	**46**
	6.3	भू-उपयोग, अंकन एवं भूमि अवाप्ति	**46**
	6.4	उपसंहार	**47**
परिशिष्ट :-	1 (अ)	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण	**48**
	1 (ब)	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	**50**
	2	राजकीय अधिसूचना क्रमांक प.10(199)नविवि/3 / 10 दिनांक 10 अगस्त 2010 राजकीय अधिसूचना क्रमांक प.10(199)नविवि/3 / 10 दिनांक 17 नवम्बर 2011	**52** **53**

तालिका -सूची

तालिका सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका -1	जनसंख्या वृद्धि प्रवृति, रामगढ़-1901-2011	6
तालिका -2	व्यावसायिक संरचना - 2001-2011	7
तालिका -3	विद्यमान भू-उपयोग, रामगढ़ -2011	7
तालिका -4	वाणिज्यिक गतिविधियॉं रामगढ़ -2011	9
तालिका -5	औद्योगिक संस्थान, रामगढ़ -2011	10
तालिका -6	राजकीय कार्यालय रामगढ़ -2011	10
तालिका -7	शिक्षण संस्थाऐ-2011	12
तालिका -8	जलापूर्ति कनेक्शन रामगढ़ -2011	14
तालिका -9	विद्युत कनेक्शन रामगढ़ -2011	15
तालिका -10	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवम् अनुमान, रामगढ़ 1981-2031	23
तालिका -11	व्यावसायिक संरचना रामगढ़- 2001-2031	24
तालिका -12	योजना क्षेत्र-2031	26
तालिका -13	प्रस्तावित भू -उपयोग, रामगढ़ - 2031	30
तालिका -14	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण -2031	33
तालिका -15	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, रामगढ़-2031	40
तालिका -16	प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास रामगढ़-2031	41

1
परिचय

रामगढ़, राजस्थान के सीकर जिले के उत्तरी भाग में स्थित शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से 181 कि.मी.,जिला मुख्यालय सीकर से 72 कि.मी., फतेहपुर से 20 कि.मी. एवं चूरू से 15 कि.मी. दूर चारों ओर धोरों से सुशोभित, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 पर स्थित है।

प्राचीनकाल में इस क्षेत्र में नासा की ढ़ाणी बसी हुई थी, इस स्थल पर विक्रम संवत् 1848 में सीकर रियासत के राव राजारामसिंह जी के नाम पर चूरू के सेठ भगवतीराम चतुर्भुज पौद्दार व उनके परिवार द्वारा रामगढ़ की नींव रखी गई। कालान्तर में क्षेत्र के शासक रावशेखा के अन्तर्गत आने पर शेखावाटी शब्द जुड़ा एवं सम्मिलित रूप से इसका नाम रामगढ़ शेखावाटी हो गया।

प्राचीन समय से ही यह कस्बा व्यापारिक केन्द्र के रूप में विख्यात रहा है। रामगढ़ में 150 वर्षों पूर्व बनी हवेलियाँ, मन्दिर कुएँ व अन्य वस्तुएँ पुरातत्व की अमूल्य धरोहर होने से यह मरूस्थल में पर्यटन का हृदय स्थल है, जो अनायास ही देश व विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

वर्ष 1901 में नगर की जनसंख्या 11023 थी जो वर्ष 1951 में 13079 दर्ज की गयी। वर्ष 1901 से 1951 तक यहाँ की जनसंख्या वृद्धि में उतार चढ़ाव चलता रहा। वर्ष 1961 से यहाँ की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गयी। दशक 1971-1981 के दौरान वृद्धि दर सर्वाधिक 29.88 प्रतिशत दर्ज की गयी।

आधार वर्ष 2011 में रामगढ़ का नगरीयकृत क्षेत्र 265.96 हैक्टेयर है। जिसमें से विकसित क्षेत्र लगभग 239.84 हैक्टेयर है। आधार वर्ष 2011 में अनुमानित जनसंख्या 35000 होने का अनुमान है तथा नगरीयकृत क्षेत्र का जन घनत्व लगभग 132 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है।

कस्बे का विकास अनियोजित व अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। पुरानी बस्तियों में तंग सड़कें, अव्यवस्थित चौराहे, अनियोजित एवं अव्यवस्थित वाणिज्यिक स्थलों एवं आधारभूत जन-सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहाँ अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। शहर के बाहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अनियोजित रूप से आवासीय विस्तार हो रहा है। इनमें भी जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है एवं गंदे पानी की निकासी तथा जलप्रवाह प्रणाली की पूर्णतया कमी है, जिसके कारण आम जनता के सामान्य जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः कस्बे की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की कमी को देखते हुए, कस्बे के सुनियोजित विकास की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 35 सन् 1959, की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत क्रमांक प.10 (199) नविवि/ 3/10/ दिनांक 10 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर रामगढ़ सहित चार राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए रामगढ़ का नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को

मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिसकी अनुपालना में वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन, जयपुर के मार्ग निर्देशन में सलाहाकार आवास विकास लिमिटेड जयपुर के सहयोगी कन्सलटेन्ट मैसर्स सृष्टि अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर डवलपमेंट लि. है। कस्बे का भौतिक एवं आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण करवाया गया तथा द्वितीय स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ संकलित कर विस्तृत विश्लेषण किया गया, जिनके आधार पर रामगढ़ कस्बे के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है। इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2011 व क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है। शहर की अनुमानित जनसंख्या हेतु विभिन्न नगरीय आवश्यकताओं का निर्धारण कर उनको योजनाबद्ध व समन्वित रूप से योजना रूप में प्रस्तावित किया गया। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में कस्बे की जनसंख्या 53,000 हो जाने का अनुमान है। इस अनुमानित जनसंख्या के लिए 733.17 हैक्टेयर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 4880 हैक्टेयर का लगभग 15.0 प्रतिशत है।

मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम , की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 08.04.2011 को प्रकाशित कर दिनांक 09.05.2011 तक (30 दिवस) आम जनता से आपत्ति /सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया गया। मास्टर प्लान से सम्बन्धित मानचित्रों की प्रदर्शनी नगरपालिका रामगढ़ में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई। मास्टर प्लान की प्रतियाँ संबंधित विभागों एवं जनप्रतिनिधियों को भी प्रेषित की गई। मास्टर प्लान के प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों का विस्तृत परीक्षण एवं विश्लेषण कर मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया। धार अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत स्वीकृती हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर जोन, जयपुर

जयपुर जोन, जयपुर।यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर इस अधिनियम की धारा 7 के तहत दिनांक 17.11.2011 को अधिसूचित कर दिया गया है।

2
विद्यमान विशेषताएँ

रामगढ़ राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 65 द्वारा राज्य के प्रमुख शहरों फतेहपुर, नागौर, चूरू तथा हरियाणा के प्रमुख शहरों यथा हिसार व अम्बाला से जुड़ा हुआ है। मीटर गेज रेल्वे लाईन द्वारा यह राज्य की राजधानी व अन्य शहरों बीकानेर, सीकर आदि से जुड़ा हुआ है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर व हवेलियाँ स्थित है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु

रामगढ़ कस्बा भौगोलिक दृष्टि से 28°10′ उत्तरी अक्षांश एवं 74°59′ पूर्वी देशान्तर पर माध्य समुद्रतल से 300 मी. की ऊँचाई पर स्थित है। इस कस्बे का ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 45.30° सेन्टीग्रेड़ तथा शीतकाल का न्यूनतम तापमान -0.90° सेन्टीग्रेड़ है। इस कस्बे की औसत वार्षिक वर्षा 507.80 मि.मी. रहती है। कस्बे में अधिकतम वर्षा जुलाई -अगस्त माहों में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। रामगढ़, अर्द्ध मरूस्थल में अवस्थित है। यह चारों ओर से बालू मिट्टी के टीलों (धोरों) से आच्छादित है।

2.2 क्षेत्रीय परिदृश्य

रामगढ़, सीकर जिले के फतेहपुर उपखण्ड के अन्तर्गत एक उप तहसील मुख्यालय है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (पाली-अम्बाला) पर स्थित है। रामगढ़, चूरू, झुंझुनू व सीकर जिलों की सीमाओं पर सीकर जिले के उत्तरी भाग का महत्वपूर्ण नगर है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से 181 किमी, जिला मुख्यालय सीकर से 72 किमी, फतेहपुर से 20 किमी. उत्तर की ओर व चूरू से 15 किमी. दक्षिण में बसा हुआ है।

नगर की जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि, पशुपालन, व्यापार, हेण्डीक्राफ्ट, निर्माण कार्य व राजकीय सेना आदि हैं। रामगढ़ क्षेत्र में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। वर्ष में केवल एक फसल खरीफ की होती है। इसमें मुख्यतः बाजरा, मूँग, मोठ आदि की पैदावार की जाती है।

2.3 ऐतिहासिक

इस नगर के बसने से पूर्व, बस्ती नोशा की ढ़ाणी के नाम से जानी जाती थी। विक्रम सम्वत् 1848 में सीकर के तत्कालीन शासक रावराजा रामसिंह जी के नाम पर चूरू के सेठ भगवतीराम चतुभुर्ज पोद्दर व उनके परिवार ने रामगढ़ की नींव रखी। सर्वप्रथम दो हवेलियाँ का निर्माण करवाया गया। कालान्तर में इनकी तादाद बढ़ती गई। अधिकतर हवेलियाँ का सन् 1880 से 1920 ई. के मध्य निर्माण करवाया गया। इन हवेलियों के निर्माण में हिन्दु व इस्लाम शैली दोनों के वास्तुशिल्प की झलक मिलती है। तत्कालीन समय की यह अदभुत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। रामगढ़ नाम के प्रदेश व देश में अनेक नगर है। इसलिए अदालतों में इस नगर को "रामगढ़ सेठान्," पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार "रामगढ़, जयपुर'' एवं रेल्वे के अनुसार ''रामगढ़ शेखावाटी" के नाम से जाना जाता है।

2.4 जनांकिकी

वर्ष 1901 में रामगढ़ की जनसंख्या 11023 एवं वर्ष 1911 में 11556 थीं, परन्तु वर्ष 1921 में नकारात्मक वृद्धि दर रही। वर्ष 1961 की जनसंख्या 13956 थीं एवं इसके पश्चात् यहाँ की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971-1981 में 29.88 प्रतिशत दर्ज की गई। दशक 1991-2001 में जनसंख्या वृद्धि पर 15.19 प्रतिशत के साथ वर्ष 2001 में जनसंख्या 28458 व्यक्ति दर्ज की गई। वर्ष 2011 में रामगढ़ कस्बे की जनसंख्या लगभग 35000 होने का अनुमान है। जनसंख्या एवं वृद्धि दर को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1

जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, रामगढ़ - 1901--2011

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	प्रतिशत वृद्धि दर
1901	11023	--	--
1911	11556	+533	+ 4.84
1921	11479	-77	- 0.67
1931	13073	+1594	+ 13.89
1941	13202	+129	+ 0.99
1951	13079	-123	- 0.93
1961	13956	+ 877	+ 6.71
1971	15068	+1112	+ 7.97
1981	19570	+4502	+ 29.88
1991	24706	+5136	+ 26.24
2001	28458	+3752	+ 15.19
2011*	35000	+6542	+ 22.99

(स्त्रोत- जनगणना एवं सलाहकार के अनुमान*)

2.5 व्यावसायिक संरचना

रामगढ़ में कार्यशील व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात वर्ष 2001 में 24.95 प्रतिशत दर्ज किया गया। कस्बे का व्यवसाय कृषि पर निर्भर है। कृषि, वर्षा पर आधारित है। इसलिए इस क्षेत्र में खरीफ की फसल की पैदावार होती है। इसमें मुख्यतः बाजरा, ग्वार, मोठ, मूँग व तिल की फसल होती है। जनगणना आंकलन के अनुसार वर्ष 2001 में कृषि में 6.82 प्रतिशत तथा खेतीहर मजदूर श्रेणी में 1.24 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत थे। घरेलू उद्योगों में 3.51 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत थे, तथा शेष 88.43 प्रतिशत व्यक्ति अन्य सेवाओं में कार्यरत पाये गये। अन्य सेवाओं में वाणिज्यिक, उद्योग, निर्माण, परिवहन आदि को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2011 में कार्यशील सहभागिता अनुपात 30 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2001 एवं 2011 की व्यावसायिक संरचना को तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2

व्यावसायिक संरचना, रामगढ़ : 2001-2011

		2001		2011*	
क्र.स.	व्यवसाय	कामगार	प्रतिशत	कामगार	प्रतिशत
1.	काश्तकार	484	6.82	525	5
2.	खेतीहर मजदूर	88	1.24	105	1
3.	घरेलू उद्योग	249	3.51	525	5
4.	अन्य सेवाएं	6278	88.43	9345	89
	योग	7099	100.00	10500	100

(स्त्रोत- जनगणना, 2001 एवम् *सलाहकार के अनुमान)

2.6 विद्यमान भू उपयोग

वर्ष 2011 में रामगढ़ कस्बे का नगरीयकृत क्षेत्र 265.96 हैक्टेयर है। इसमें से 239.84 हैक्टेयर भूमि विकसित क्षेत्र है, जो नगरीयकृत क्षेत्र का 90.18 प्रतिशत है। विकसित क्षेत्र का 53.25 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय उपयोग हेतु, 6.30 प्रतिशत वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु, 4.22 प्रतिशत आद्योगिक उपयोग हेतु, 0.84 प्रतिशत राजकीय कार्यालयों हेतु, 6.98 प्रतिशत क्षेत्र सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग में एवम् शेष 28.41 प्रतिशत परिसंचरण के अन्तर्गत भू-उपयोग है। वर्ष 2011 के विद्यमान भू-उपयोग को तालिका-3 में दर्शाया गया है।

तालिका -3

विद्यमान भू- उपयोग - रामगढ़ -2011

क्र.स.	उपयोग	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	127.71	53.25	48.02
2	वाणिज्यिक	15.12	6.30	5.69
3	औद्योगिक	10.12	4.22	3.81
4	राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय	2.02	0.84	0.76
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	16.73	6.98	6.28
6	परिसंचरण	68.14	28.41	25.62
कुल विकसित क्षेत्र		**239.84**	**100.00**	**90.18**
7	नर्सरी	2.83		1.06
8	तालाब	0.64		0.24
9	रिक्त भूमि	22.65		8.52
नगरीयकृत क्षेत्र		**265.96**		**100.00**

(स्त्रोत- सलाहकार के सर्वेक्षण)

2.6 (1) आवासीय

वर्ष 2011 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत 127.71 हैक्टेयर भूमि है, जो कस्बे के कुल विकसित क्षेत्रफल का 53.25 प्रतिशत है। आवासीय भू-उपयोग कस्बे में सबसे अधिक है। वर्ष 2011 में यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 35000 व्यक्ति है। इस प्रकार आवासीय जन घनत्व 274 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। वर्तमान में नगरपालिका के 25 वार्ड हैं। कस्बे के आन्तरिक भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक व बाहरी भाग में कम है। रामगढ़ की बसावट 200 वर्ष पूर्व की है। यहाँ की पुरानी बसावट नियोजित रूप में बसी हुई। कस्बे के भीतरी भाग में आवासीय भवन एक दूसरे से सटे हुए हैं एवं अधिकांशतः दो मंजिल के हैं। पुरानी हवेलियाँ पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई हैं। इन हवेलियों में वास्तुकला व चित्रकला दर्शनीय हैं। नगर नियोजित तरीके से वर्गाकार परन्तु कम चौड़ी सड़कों पर बसा हुआ है। नगर में किसी भी भाग से अन्दर बाहर आराम से आजा सकते है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार नगर में 4065 परिवार निवास करते थे। इस प्रकार कस्बे के परिवार का औसत आकार 7 है। चुरू व सीकर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व में कृषि भूमि पर अनियोजित रूप से आवासीय कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है।

2.6 (2) वाणिज्यिक

रामगढ़ में रूईया मार्ग पर मुख्य बाजार है। इस बाजार में कस्बे की सर्वाधिक वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित है। पुराने व नये बस स्टेण्ड के समीपवर्ती क्षेत्र भी व्यावसायिक गतिविधियों के केन्द्र है। इनके अलावा चूरू गेट सड़क पर व नगर के अन्य भागों में आवासीय घरों में वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित है।

वर्ष 2011 में प्रमुख व्यावसायिक स्थलों के सर्वे के अनुसार रामगढ़ में 628 दुकानें व 80 थड़ियाँ व्यापार में संलग्न हैं। इनमें 826 व्यक्ति कार्यरत है। कस्बे में सुनियोजित वाणिज्यिक केन्द्रों का अभाव है। रामगढ़ में वाणिज्यिक भू-उपयोग के अन्तर्गत 15.12 हैक्टेयर भूमि आती है, जो विकसित क्षेत्र का 6.30 प्रतिशत है। विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों को तालिका-4 में दर्शाया गया है।

तालिका -4
वाणिज्यिक गतिविधियॉं रामगढ़ -2011

क्र. सं.	वाणिज्य का प्रकार	इकाइयों की संख्या			कार्यरत व्यक्ति
		स्थाई	अस्थाई	कुल	
1	खुदरा सामान एवं जनरल स्टोर	115	6	121	141
2	मरम्मत, सिलाई, धोबी,नाई,मोची आदि	82	2	83	99
3	भवन निर्माण सामग्री	14	-	14	16
4	लकडी एवं फर्नीचर	7	-	7	9
5	फल सब्जी एवं मीट	5	22	27	39
6	ढाबा, जलपान गृह, मिठाई आदि	56	25	81	98
7	स्टेशनरी,पत्र-पत्रिकाएँ,टाइपिंग,फोटोग्राफी,फोटोस्टेट	33	-	33	36
8	ऑटो पार्ट्स, मोटर साइकिल व मरम्मत,इंजीनियरिंग	26	7	33	36
9	घड़ी, रेडियो, विद्युत उपकरण व टीवी (इलेक्ट्रोनिक्स)	68	1	69	73
10	कपड़े की दुकान व निर्मित वस्त्र	68	-	68	77
11	क्लिनिक एवं केमिस्ट	19	-	19	23
12	सुनार व ज्वैलर्स	29	-	29	39
13	अन्य	106	17	123	140
	योग	628	80	708	826

(स्रोत- सलाहकार के सर्वेक्षण)

2.6 (3) औद्योगिक

रामगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र कस्बे के पश्चिम में पलास रोड पर स्थित है। इसमें लघु व मध्यम श्रेणी की कई औद्योगिक इकाइयाँ हैं। यहाँ पर आरा मशीन, पाईप, दाल मील आदि उद्योग कार्यरत हैं। तथा यहाँ पर हैण्डीक्राफ्ट के उद्योग भी हैं। औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत रामगढ़ में 10.12 हैक्टेयर भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 4.22 प्रतिशत है। तालिका-5 में औद्योगिक इकाइयों का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका -5
औद्योगिक संस्थान, रामगढ़ -2011

क्र.स.	उद्योग का प्रकार	इकाइयों की संख्या	कार्यशील व्यक्ति
1.	कृषि आधारित उद्योग	5	15
2.	वनों पर आधारित उद्योग	7	9
3.	लोहा,खराद,लैथ उद्योग	1	1
4.	आईस फैक्ट्री	1	1
5.	कम्प्रेशर,वैल्डिंग उद्योग	0	1
6.	अन्य उद्योग	15	17
	योग	29	44

(स्त्रोत-सलाहकार के सर्वेक्षण)

2.6 (4) राजकीय एव अर्द्ध राजकीय कार्यालय

रामगढ़, कस्बे में 14 राजकीय अर्द्ध राजकीय कार्यालय स्थित हैं। जिनमें उपतहसील कार्यालय, पुलिस थाना, अजमेर विद्युत वितरण निगम, जलदाय विभाग, डाक घर, रेल्वे स्टेशन,बैंक आदि प्रमुख हैं। तालिका सं.6 में राजकीय एवं अर्द्ध राजकीय कार्यालय दर्शाये गये है।

तालिका-6
राजकीय कार्यालय, रामगढ़ -2011

क्र.स.	कार्यालयों का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	केन्द्रीय सरकार	3	36
2.	राज्य सरकार	6	100
3.	अर्द्ध राजकीय	5	59
	कुल	14	195

(स्त्रोत-सलाहकार के सर्वेक्षण)

2.6 (5) आमोद प्रमोद

रामगढ़ में नृत्य कला गायन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन शेखावाटी क्षेत्र की परम्पराओं के अनुसार किया जाता है। कस्बे में अणतराम जी जोहड़ के पास तीजमाता, चलवा चौक में गणगौर एवं धोरे (टीले) पर शीतलामाता के मेलों का आयोजन होता है। इनके अलावा रामदेव जी के मेला, गोगाजी का मेला, महात्मा कालूराम जी का मेला, सावन-भादवे में हिण्डोले आकर्षण के केन्द्र है। शेखावाटी क्षेत्र में फाल्गुन माह का अलग ही महत्व है। इस माह में क्षेत्र में

अलग-अलग तरह से मनोरंजन करते हैं। रामगढ़ के चारों ओर इस माह में ''गीधड़'' उत्सवों का आयोजन होता है। इसकी मुख्य विशेषता, नगारे के साथ घुंघरू पाँवों में बाँध कर, हाथ में बेंत (डण्डे) लेकर, बाल, वृद्ध,स्त्री व अनेक रूपों के श्रृंगार कर नृत्य करते हैं। इसके साथ ढप (चंग) व बाँसुरी के साथ गायन होता है। वर्तमान में भी रामगढ़ वासी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखे हुए है। इन आयोजनों में नगरवासियों में सभी समुदायों के लोग बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देश में सुप्रसिद्ध गायिका सीमा मिश्रा व उत्कृष्ट बांसूरी वादक ओमप्रकाश कलावरिया भी रामगढ़ के निवासी हैं। कस्बे में रामलीला का आयोजन कर दशहरा पर रावण दहन किया जाता है। सत्संग व अन्य आयोजनों के लिए आनन्द सत्संग भवन संचालित है। रामगढ़ में कोई सार्वजनिक खुला स्थल, पार्क व स्टेडियम आदि नहीं है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

रामगढ़ में 16.73 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 6.98 प्रतिशत है। रामगढ़ में वाँछित योजना मानदण्डों की अनुपातिक दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं यथाः शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का अभाव है।

2.6 (6)अ शैक्षणिक

रामगढ़ प्राचीन समय में शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता था। लगभग 100 वर्ष पूर्व इस कस्बें में 30 संस्कृत पाठशालायें माध्यमिक स्तर की संचालित थीं। इन पाठशालाओं में विद्याध्ययन करने वाले छात्र, कस्बे के मन्दिरों व छतरियों में निवास करते थे।

रामगढ़ में उच्च शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय रेल्वे स्टेशन के समीप स्थित है। जिसमें 491 छात्र अध्ययनरत है। शिक्षण प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय, छात्राओं के अलग से विद्याअध्ययन के लिए बालिका महाविद्यालय संचालित हैं। कस्बे में राजकीय एवं निजी स्तर पर 18 विद्यालय है। इनमें 8 प्राथमिक, 5 उच्च प्राथमिक, 5 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। इनमें 3806 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 13 राजकीय विद्यालय है, जिनमें से 7 प्राथमिक विद्यालय, 2 उच्च प्राथमिक एवं 4 सीनियर सैकेण्डरी है। निजी विद्यालय 5 है, जिनमें से 3 उच्च-प्राथमिक एवं 2 सीनियर सैकेण्डरी है। अधिकांश विद्यालयों में खेल मैदानों का अभाव है। तालिका सं. 7 में रामगढ़ में स्थित शिक्षण संस्थाओं के आंकड़े दर्शाये गये हैं।

तालिका संख्या-7
शिक्षण संस्थाएँ-रामगढ 2011

क्र.स.	विद्यालय (शैक्षणिक स्तर)	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों मे पंजीकृत छात्रों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	8	1174
2	उच्च प्राथमिक	5	1040
3	माध्यमिक एवम् उच्च माध्यमिक	5	1592
	योग	18	3806

(स्त्रोत-सलाहकार के सर्वेक्षण)

2.6 (6)(ब) चिकित्सा

रामगढ़ एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गौशाला रोड़ पर स्थित है। जिसमें 5 डॉक्टर व 20 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें ईसीजी, रोग जाँच सुविधायें, प्रसूति सेवा सुविधा, अन्तः मरीज सुविधा उपलब्ध है। 200-250 बहिरंग मरीज(out door patient) प्रतिदिन व 2-4 अन्तः मरीज प्रतिदिन हॉस्पिटल में आते हैं। मातृ व शिशु कल्याण केन्द्र एंव पशु चिकित्साल्य बिसाऊ गेट के पास स्थित है। कस्बे में चार चिकित्सा इकाइयाँ निजी क्षेत्र में सेवारत हैं। एक यूनानी पद्धति का चिकित्सालय एवं एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी सेवारत है।

2.6 (6)(स) सामाजिक/सांस्कृतिक एवम् धार्मिक

रामगढ़, प्राचीन समय से ही धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर है। इनमें मुख्यतः प्राचीन गंगामाता मन्दिर, शनिदेव महाराज, हनुमानजी, जैन मन्दिर एवं शिव मन्दिर हैं। इन मन्दिरों में धार्मिक प्रवचन, संस्कृत स्कूलों का संचालन, विद्याअध्ययनरत छात्रों के आवास स्थल एवं बाहरी व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था की जाती रही हैं। इन मन्दिरों के निर्माण में पूर्वजों की समझ, उनकी विचारधारा, इंजीनियरिंग एवं वास्तु कौशल की अद्वितीय कहानी है। भित्ति चित्रों के रूप में रामायण, महाभारत, गीता, शिवपुराण आदि पौराणिक कथाओं का आकर्षक अंकन किया गया है।

रामगढ़ में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु, रेल्वे स्टेशन के उत्तर में स्थित स्कूल का खेल मैदान एवं रेल्वे कॉलोनी का रामलीला मैदान है।

2.6 (6) द अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

रामगढ़ में एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं बैंक सेठ रामनारायण रूईयाँ मार्ग पर बिसाउ गेट के पश्चिम में स्थित है। डाकघर सेठ रामनारायण रूईयाँ मार्ग पर बिसाउ गेट के पूर्व में स्थित है। टेलीफोन एक्सचेंज फतेहपुरिया गेट के दक्षिण में स्थित है। पुलिस स्टेशन सेठ रामनारायण रूईयाँ महाविद्यालय के दक्षिण में, रेल्वे स्टेशन के समीप स्थित है। सत्संग भवन फतेहपुरिया गेट के पूर्व व बिसाउ गेट के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कस्बे में अठारह धर्मशालायें अलग-अलग स्थानों पर हैं। कस्बे में तीन बैंक हैं।

2.6 (6) य जनोपयोगी सुविधाएँ

विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, जल-मल निकास एवं निस्तारण व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति एवं सुनियोजित जल निस्तारण व्यवस्था के बिना स्वस्थ वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। कस्बे में कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था एवम् सीवरेज लाईन नगरपालिका क्षेत्र में नहीं है। कस्बे में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था का अभाव है।

2.6 (6) य (क) जलापूर्ति

रामगढ़ में, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा औसतन 60 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई की जाती है। पानी की सप्लाई 22 बोरवेलों के माध्यम से की जाती है। जल वितरण हेतु 3.4 लाख लीटर का सी.डब्ल्यू.आर.,जलदाय विभाग कार्यालय में कैम्पस में व 50 हजार लीटर का सी.डब्ल्यू.आर. गोगा मेडी में स्थित है। तालिका 8 में जलापूर्ति कनेक्शनों का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका-8

जलापूर्ति कनेक्शन रामगढ़ -2011

क्र.स.	मद	कनेक्शनों की संख्या	प्रतिशत
1	घरेलू	4440	94.98
2	वाणिज्यिक	157	3.36
3	औद्योगिक	10	0.21
4	सरकारी	38	0.81
5	नगरपालिका	30	0.64
	योग	4675	100.00

(स्त्रोत-जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रामगढ़)

2.6 (6) य(ख) जल मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण प्रबन्धन

रामगढ़ कस्बे में जल-मल निस्तारण हेतु भूमिगत सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। दूषित जल खुली नालियों में बहाया जाता है, जिससे वातावरण दूषित बना रहता है। खुली नालियों के कारण रामगढ़ में मच्छरों का प्रभाव बहुत अधिक है। इससे बिमारियाँ फैलने की आशंका बनी रहती हैं। नई बसी आवासीय कॉलोनियों में नालियों की व्यवस्था नहीं होने से लोगों द्वारा घरों का दूषित जल सीधा सड़कों पर प्रवाहित कर दिया जाता है। सड़कों पर गन्दा पानी एकत्रित हो जाने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। कस्बे की बसावट समतल भूमि पर नहीं होने से दूषित जल का निकास सही नहीं हो पाता। कस्बे के चारों ओर रेत के धोरे होने से दूषित जल पुराने जोहड़ों में जाकर इकट्ठा हो जाता है। कस्बे का ढलान पूर्व से पश्चिम व दक्षिण दिशा की ओर है। प्राचीन समय में जोहड़ों को पक्का बनाकर पशु-पक्षी व मानव के लिए वर्षा जल को एकत्रित कर पीने के लिए तैयार किया गया था, वो आज दूषित जल के कारण वातावरण को दूषित कर रहे हैं।

2.6 (6) य(ग) विद्युत

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा रामगढ़ में, विद्युत उपलब्ध करवाई जाती है। कस्बे में नगर पालिका के पास स्थित ग्रिड सबस्टेशन (GSS) से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। तालिका 9 में विद्युत कनेक्शनों का विवरण दर्शाया गया है :-

तालिका-9

विद्युत कनेक्शन रामगढ़ -2011

क्र.स.	म्द	कनेक्शनों की संख्या
1	घरेलू	8715
2	वाणिज्यिक	628
3	एस टी	11
4	कृषि	204
5	एस.आई.टी.	241
6	एम.आई.पी.	10
7	मिश्रित	50
8	एच.टी.	01
योग		9860

(स्त्रोत-अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. रामगढ़)

2.6 (6)ह श्मशान एवं कब्रिस्तान

रामगढ़ में नवीन बस स्टेण्ड के पास हिन्दू श्मशान व मुस्लिम कब्रिस्तान स्थित है। रैगर, बलाई, हरिजन समाज के श्मशान बाईपास पर स्थित है। एक कब्रिस्तान वार्ड नं. 19, मुस्लिम मुसाफिर खाने के सामने व एक वार्ड नं. 5 आथूणा मौहल्ला में स्थित है। रेल्वे क्रॉसिंग के पास हरिजन समाज का श्मशान है।

2.6.7 परिसंचरण

सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा रामगढ़ देश के विभिन्न भागों से भली-भाँति जुड़ा हुआ है। रामगढ़ में परिसंचरण भू-उपयोग के अन्तर्गत 68.14 हैक्टेयर भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 28.41 प्रतिशत है।

2.6.7(अ) यातायात व्यवस्था

रामगढ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है जो पाली से चुरू एवं हिसार जाता है। रामगढ़, सड़क मार्ग से फतेहपुर, चुरू, सीकर, जयपुर आदि प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित जिला मुख्यालय सीकर से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उपजिला मुख्यालय फतेहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के जंक्शन पर स्थित है जो रामगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुराने कस्बे के अन्दर सड़कें संकरी हैं। रूईया रोड के दोनों ओर सघन रूप से वाणिज्यिक

गतिविधियॉं विकसित हैं। जिसमें कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं होने एवं अतिक्रमण के कारण यातायात सदैव अव्यवस्थित रहता है।

2.6.7(ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल

पुराना बस स्टॉप सेठ रामनारायण रूईयाँ मार्ग पर स्थित है। नया बस स्टैण्ड सेठान मार्ग पर नगरपालिका द्वारा विकसित किया गया है। इस बस स्टेण्ड पर बसों के आवागमन हेतु पर्याप्त चोड़ाई की सड़कें नहीं हैं। तथा शहर की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ से लंबी व कम दूरी की सरकारी व गैर सरकारी बसें संचालित हैं। अधिकांश बसों का सीधे ही बाई-पास द्वारा ही आवागमन होता है। रामगढ़ को तैयार माल की ढुलाई के लिए ट्रक ही मात्र साधन है। जिससे कस्बे के बाहर भेजा जा सकता है। परन्तु बड़े ट्रक कस्बे के अन्दर नहीं जा सकते। इनकी उपस्थिति से यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। ट्रकों को खड़े होने के लिए कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है। सड़क पर ही ट्रक खड़े रहते हैं एवं मरम्मत का कार्य भी सड़क पर ही होता रहता है, जिससे नगर के यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है।

2.6.7 (स) रेल सेवा

रामगढ़, रेल मार्ग द्वारा बीकानेर, चुरू, सीकर, जयपुर आदि प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। रेल्वे स्टेशन, कस्बे के पूर्व में है। वर्तमान में मीटरगेज की रेल्वे लाइन है। कस्बे में हवाई सेवा का अभाव है।

2.7 (1) पर्यटन

रामगढ, पर्यटन की दृष्टि से शेखावाटी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। रामगढ़ की बसावट चार दरवाजे यथाः चूरू दरवाजा, बिसाऊ दरवाजा, फतेहपुरिया दरवाजा व बीकानेर दरवाजा एवं आठ मोरियों के साथ, चार दिवारी के अन्दर हुई। धीरे-धीरे जनसंख्या वृद्धि से नगर का विस्तार चार दिवारी के बाहर हुआ। नगर में अकूत धन के मालिक सेठ अपने पूर्वजों की स्मृति में छतरी, शिवमन्दिर, कुएँ, पक्के जोहड़ आदि का निर्माण करवाते थे। एक अनुमान के अनुसार नगर में 36 छतरियाँ, 101 मन्दिर (100-150 वर्ष पुराने), 60 कुएँ, साथ ही रहने के लिए 125 कलात्मक हवेलियाँ का निर्माण करवाया गया था। चारों दिशाओं में चार जोहड़, पक्के बनवाये गये थे। नगर के पश्चिम दिशा में सेठ अणतराम पोद्दार का जोहड़ा, उत्तर दिशा में

गऊघाट व जनानाघाट सहित सेठ राम चन्द्र जी पोद्दार का जोहड़ा, पूर्व दिशा में गऊघाट सहित श्री नन्दराम कुडेल की जोहड़ी व दक्षिण दिशा में सेठ रामनारायण रूहिया का जोहड़ा तैयार करवाया हुआ है। इन जोहड़ों के निर्माण का उद्देश्य, पशु, पक्षी व मानव के लिए पीने के लिए, वर्षा जल एकत्रित कर रखना था। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा चिह्नित राज्य के 41 पर्यटन स्थलों में से रामगढ़ भी शामिल है।

मन्दिरों, छतरियों, हवेलियों में अन्दर व बाहर भित्ति चित्रों को यहाँ के स्थानीय कलाकारों ने अपनी विशिष्ट कला से संजोया हैं। चित्रकारी में लिये गये प्राकृतिक रंगों के साथ, कालान्तर में रासायनिक डाई का भी खूब इस्तेमाल किया गया हैं। क्रेस्को ब्यूनो व क्रेस्को सैको प्रकारों की नकल कर यहाँ के चितेरों ने इन हवेलियों, गुम्बदों, मन्दिरों को विभिन्न विषयों पर आधारित चित्रों से सँजो दिया। इस अनोखी शैली से शेखावाटी आधुनिक पर्यटन जगत में ओपन एअर आर्ट गेलरी के नाम से जग प्रसिद्ध हो गया है। सेठ रामगोपाल जी की छतरी के गुम्बद पर सचित्र रामायण, शिव विवाह, सेठ फकीर चन्द की छतरी में बारह महिनों की बारह ऋतुएँ के चित्र, अन्य छतरियों एवं मन्दिरों में 36 राग-रागनियों व महाभारत, ढोला मारू, पोराणिक कथाओं के आधार पर,पानी निकालते पनिहारिन व अन्य समकालीन विचारधारा के भित्तिचित्र ऊकेरे हुए हैं। प्राचीन शैली के साथ ज्ञानवर्धन का अनोखा मेल है। ऐसी छतरियाँ संसार में अन्य स्थानों पर देखने को नहीं मिलती हैं। नगर के शनिदेव मन्दिर में काँच से दीवारों को सजाये जाने की शैली है। शनि मन्दिर के परिक्षेत्र में भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना है। इनमें बेमाता को मानव के भाग्य को लिखते हुए चित्रित किया गया है।

वर्तमान में हवेलियाँ, मन्दिर, छतरियाँ, कुएँ, जोहड़ सार संभाल के अभाव में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। यहाँ पर बसने वाले सेठ व उक्त पुरामहत्व के पुरोधा देश के अन्य भागों में व विदेशों में व्यापार के लिए पलायन कर गये हैं।

रामगढ, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने से कई देशों के राजदूत व राजनयिक, उद्योगपति, व्यापारी एवं साधारण व्यक्ति देश के अन्य प्रान्तों से हजारों की संख्या में देखने के लिए पहुँचते हैं। इनमें अमेरिकी राजदूत बेनवर्गर (1986-87) श्री बलिराम भगत, (पूर्व राज्यपाल राजस्थान) निदेशक, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली (1985), पुपुल जयकर, सेन्ट्रल कॉटेज इन्डस्ट्रीज के पदाधिकारीगण व अन्य मुख्य है। पैलेस ऑन व्हील्स से राजस्थान के पर्यटन स्थलों के दर्शन हेतु, रेल द्वारा यात्रा करवाई जाती है, जिसमें सभी सुविधायें होती है। इस रेल का एक स्टेशन रामगढ़ शेखावाटी भी है। पर्यटकों हेतु उचित पर्यटन सुविधाओं तथा उनके आवास आदि के लिए

उपयुक्त सुविधाओं व अन्य सामुदायिक सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण पर्यटक समुचित संख्या में रामगढ़ नहीं आ पाते हैं। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

2.7 (2) वन एवं अभ्यारण्य

रामगढ़ कस्बे के पश्चिम में श्री कृष्ण गौशाला द्वारा लगभग 414.69 हैक्टेयर भूमि में गौशाला का विकास किया जा रहा हैं। इसमें सर्वमूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं। वर्तमान में मशीनी युग के आगमन से गाय का महत्व घटता जा रहा है। किसान के लिए गऊपालन मँहगा पड़ता जा रहा है, इसलिए किसान के लिए गाय को पास में रखना उसकी मजबुरी होती जा रही है। इस स्थिति में गौशालायें गाय के सहारे के लिए वरदान साबित हो रही हैं। श्री कृष्ण गौशाला का उद्देश्य गाय व बछड़ों, हिरणों के लिए सुरक्षित स्थल उपलब्ध करवाना है। यह क्षेत्र राजस्थान के तालछापर के बाद दूसरे नम्बर पर हिरणों का सुरक्षित संरक्षित स्थल है। इस क्षेत्र में खरगोश, चिंकारा अन्य जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं। हिरणों के कुलाचे मारते हुए देखने के लिए पर्यटकों को रामगढ़ अपनी ओर आकृर्षित करता रहेगा।

2.7 (3) सांस्कृतिक सम्पदा

रामगढ़ में प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा को जीवित बनाये हुए है। इसमें वर्ष में होने वाले त्यौहार यथाः तीज, गणगौर, रामदेवजी, गोगाजी, महात्मा कालूराम जी, झलझूलनी ग्यारस, शीतला अष्ठमी, चाखियारानी आदि के मेलों का आयोजन बड़े हर्षोउल्लास से किया जाता है। उक्त मेलों से लगता है कि स्थानीय लोग मनोरंजन व खुशियाँ मनाने, अपने इष्टदेव को खुश करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं।

इस प्रकार फाल्गुन माह में ''गींदड'' नृत्य के लिए रामगढ़ का नाम देश व विदेशों में प्रसिद्ध है। यहाँ की सांस्कृतिक झाँकी ब्रिटेन व फ्राँस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। एक मस्जिद गुलशन मुस्लिम समुदाय का धार्मिक स्थल है। इस समुदाय द्वारा ताजियों का अपनी परम्परानुसार आयोजन किया जाता है। उक्त वर्णित अवसरों में दोनों समुदाय मिलजुलकर मनोरंजन करते हैं।

3

नियोजन की संकल्पना

कस्बे तथा नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसके ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि से ओतप्रोत होता है। वहाँ के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप निरन्तर परिवर्तनीय है। ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहाँ एक ओर सुरक्षा के कारणों से कस्बे का विकास सघन था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी छितराये रूप में बसने लग गयी है। कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गांवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप कस्बों पर दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

रामगढ़ कस्बे की स्थापना भी सघन रूप में सुरक्षा की दृष्टि से की गयी थी। अब बाहरी इलाकों में भी विकास आवास, बाजार, खेल मैदान, विद्यालय, कार्यालय, उद्योग आदि स्थापित हो गये हैं। कस्बे का नया विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाया है। इसके फलस्वरूप अन्य नगरों की भाँति यहाँ भी छितराये विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अभाव आदि अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में यहाँ के नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं तो, दिन-प्रतिदिन के प्रकरणों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के सन्दर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत, पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जाता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढॉचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है, इस प्रकार मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों का लिखित विवरण है। इसके साथ भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं। भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान, नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाए रखने की प्रबल जन आकॉक्षा हो सकती है। कतिपय मान्यताएँ निर्धारित करके, उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। रामगढ़ नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी सिद्धान्तों की पालना की गयी है।

3.1 नियोजन की नीतियाँ

अनुमान है कि आगामी दशकों में रामगढ़, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में एवं पृष्ठ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होने के फलस्वरूप प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य एवं शिक्षा और अन्य सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित होगा।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

रामगढ़ कस्बे की बढ़ती जनसंख्या व विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले पर्यटन के विकास के मद्देनजर विभिन्न भू-उपयोग के लिए समुचित भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी के अनुरूप समन्वित विकास हो सके। उपरोक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किए गए हैं :-

1. रामगढ़ कस्बे में स्थित खाली भूमि पर अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः सभी का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।

2. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक एवं सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामंजस्य स्थापित रहे।

3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नगर में संगठित लघु उद्योग एवं गृह उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो। कस्बे के समीप प्रदूषणजनित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए ताकि कस्बे के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4. रामगढ़ के भीतर स्थित पुराने क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए।

5. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने और अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर फल सब्जी, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, उनके थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की जानी चाहिए।

6. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सेवाओं व जनउपयोगी सुविधाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए।

7. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रम की व्यवस्था निश्चित की जाये कि जिससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू उपयोग योजना एवं यातायात सरंचना एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेंत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य मार्गों व उपमार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाने चाहिए।

8. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की

जानी चाहिए। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।

9. ऐतिहासिक भवन, हवेलियाँ, छतरियाँ, मन्दिर, कुण्ड, दरवाजे, जोहड़, कुँऐं, बावड़ियाँ एवं प्राकृतिक संसाधन तालाब, नालों एवं बहाव क्षेत्र का सीमांकन कर इन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना चाहिए।

10. कस्बे की पर्यटन से सम्बन्धित हवेलियों व धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर उनको विरासत संरक्षण योजना के तहत संरक्षित स्मारक किया जाना चाहिए।

11. शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों/स्थलों को सुदृढ़ यातायात व्यवस्था द्वारा एकीकृत कर तथा सामूहिक पर्यटन सर्किट विकसित कर पर्यटन सुविधायें उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

4.

भावी आकार

रामगढ़ के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत चार राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 4880 हैक्टेयर है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार यहाँ की जनसंख्या 28458 थीं। वर्ष 2031 तक नगर की जनसंख्या लगभग 53,000 हो जाने का अनुमान है। इस बढी हुई जनसंख्या एवम् भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

4.1 जनांकिकी

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ की जनसंख्या दशक 1981-91 में 26.25 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 24706 दर्ज की गई। वर्ष 1991-2001 के दशक में कस्बे की जनसंख्या वृद्धि दर 15.19 प्रतिशत के साथ जनसंख्या 28458 दर्ज की गई थी। अनुमान है कि मास्टर प्लान योजना अवधि में, कस्बे का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2031 तक कस्बे की जनसंख्या 53000 हो जाने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय दोनों घटक अर्थात प्राकृतिक वृद्धि एवम् आप्रवास को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 1981 से वर्ष 2031 तक रामगढ़ की जनसंख्या वृद्धि प्रवृति एवं अनुमानों को तालिका-10 में दर्शाया गया है:-

तालिका -10

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवम् अनुमान, रामगढ़ 1981-2031

क.स.	वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1.	1981	19570	-	-
2.	1991	24706	5136	26.25
3.	2001	28458	3752	15.19
4.	2011*	35000	6545	23.00
5.	2021*	43050	8050	23.00
6.	2031*	53000	9950	23.11

स्त्रोतः- भारतीय जनगणना एवं अनुमान*

4.2 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 2001 में रामगढ़ के श्रमिकों का सहभागिता अनुपात 24.95 प्रतिशत था, जो वर्ष 2011 में 30.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। क्षितिज वर्ष 2031 में नगर की व्यावसायिक संरचना भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं और भूतकालीन प्रवृतियों के साथ व अन्य शहरों का तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर आंकलन किया गया। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए कस्बे का सहभागिता अनुपात 32 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2011 में 10500 कार्यशील व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2031 में 16960 कामगार होने का अनुमान है। अन्य सेवाओं और पर्यटन उद्योग के विकास के सम्मिलित प्रभाव से, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियाँ इस कस्बे की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ बनी रहेगीं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि रामगढ़ प्रशासनिक एवम् शिक्षा का केन्द्र बना रहेगा, जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार की अच्छी सम्भावनाएँ होगीं। वर्ष 2031 के लिए अनुमानित व्यावसायिक संरचना को तालिका -11 में दर्शाया गया है:-

तालिका -11

व्यावसायिक संरचना, रामगढ़ 2001-2031

क. स.	व्यवसाय	2001		आधार वर्ष 2011*		प्रस्तावित क्षितिज वर्ष 2031*	
		कामगार संख्या	प्रतिशत	कामगार संख्या	प्रतिशत	कामगार संख्या	प्रतिशत
1.	काश्तकार	484	6.82	525	5	678	4
2.	खेतीहर	88	1.24	105	1	169	1
3.	घरेलू उद्योग	249	3.51	525	5	1187	7
4.	अन्य	6278	88.43	9345	89	14926	88
योग		7099	100.00	10500	100	16960	100
सहभागिता अनुपात			24.95		30.00		32.00

स्त्रोतः- भारतीय जनगणना एवं अनुमान*

4.3 नगरीय क्षेत्र

रामगढ़ कस्बे का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत रामगढ़ सहित 4 राजस्व ग्रामों को रामगढ़ के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए क्रमांक प.10 (199) नविवि/3/10 दिनांक 10 अगस्त 2010 को अधिसूचित किया गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 4880 हैक्टेयर है। इसमें नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवम् इसके चारों ओर अनियोजित विकास को नियोजित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 4 राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ठ-2 पर दी गई है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

अनुमान है कि वर्ष 2011 की 35000 अनुमानित जनसंख्या की तुलना में क्षितिज वर्ष 2031 में रामगढ़ की जनसंख्या बढ़कर 53000 हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार मास्टर प्लान अवधि वर्ष 2031 तक इस कस्बे में लगभग 18000 अतिरिक्त व्यक्ति बढ़ जायेंगे। अतः बढी हुई जनसंख्या के रहने,कार्य करने और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिये भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रवृति यह दर्शाती है कि भविष्य में कस्बे का विकास मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर व उत्तर एवं दक्षिण की ओर होगा। रामगढ़ के नगरीय क्षेत्र की सम्भावित सीमाओं का निर्धारण करते समय वर्तमान भौतिक संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए 733.17 हैक्टेयर भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गयी है। नगर नियोजन के वांछित मानदण्डों को ध्यान में रखकर बढ़ी हुई जनसंख्या के मुख्य कार्य एवं उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि सम्भावित जनसंख्या को नियोजित ढंग से बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों और सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान करते हुए इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था से जोड़ने के लिए कुल 720 हैक्टेयर विकास योग्य भूमि की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र

सुधार एवं भावी विकास के उद्देश्य से रामगढ़ नगरीय क्षेत्र को 4 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रस्ताव करते समय विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्वरूपों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रस्तावित स्थिति और उनके पारस्परिक सम्बन्ध आदि तथ्यों पर, पर्याप्त ध्यान दिया गया है। रोजगार, आवास, व्यवसाय, आमोद-प्रमोद तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रत्येक योजना क्षेत्र, स्वनिर्भर इकाई के रूप में होगा। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2031 हेतु योजना क्षेत्रों को तालिका-12 में दर्शाया गया है :-

तालिका-12

योजना क्षेत्र, रामगढ़-2031

क्र. सं	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अनुमानित जनसंख्या
अ.	उत्तरी योजना क्षेत्र	308	25,300
ब.	दक्षिणी योजना क्षेत्र	292.17	22,300
स.	पश्चिमी योजना क्षेत्र	133	5,400
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	733.17	53,000
द.	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	4146.83	-
	अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	4880	-

स्त्रोत :- कन्सलटैन्ट का आंकलन

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र के मानचित्र में विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र, 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है।

(अ) उत्तरी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के पूर्व व सेठ रामनारायण रूइयाँ मार्ग के उत्तर में स्थित क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस योजना क्षेत्र में गंगा माता मन्दिर, गणेश मन्दिर, नटवरजी मन्दिर, पावर हाउस, नगरपालिका कार्यालय, सुभाष चौक, आर्ट ग्लेरी, रविन्द्र कॉलोनी, नया बस स्टेण्ड सैनी बस्ती, पोस्ट ऑफिस, दी आर्ठ प्लेस बुडन फैक्ट्री, बस स्टेण्ड के पास श्मशान व पुरानी आबादी का क्षेत्र सम्मिलित है।

इस क्षेत्र में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस स्टेण्ड़, एक नगरीय स्तर का पार्क, स्कूल, सार्वजनिक सुविधा एवं पर्यटन के लिए अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए भूमि प्रस्तावित की गई हैं। कस्बे का विस्तार उत्तर दिशा में मानते हुए आवासीय क्षेत्र भी प्रस्तावित किए गये हैं। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 308 हैक्टेयर है। इस योजना क्षेत्र में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए लगभग 25,300 जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है।

(ब) दक्षिणी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के पूर्व व सेठ रामनारायण रूइयाँ मार्ग के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में पौद्धार की छतरी, श्री कृष्ण गौशाला कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महाविद्यालय, जन स्वास्थय एवं अभियान्त्रिकी विभाग, भारतीय दूर संचार विभाग, पुस्तकालय, रेल्वे स्टेशन उच्च माध्यमिक विद्यालय, कब्रिस्तान आदि सम्मिलित है।

इस योजना क्षेत्र में नगरीय स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, राजकीय कार्यालयों, वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक सुविधा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं इत्यादि हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 292.17 हैक्टेयर है। इस योजना क्षेत्र में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए 22,300 जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है।

(स) पश्चिमी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के पश्चिम का क्षेत्र शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित है।

इस योजना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, थोक व्यापार केन्द्र, ट्रक टर्मिनल, भण्डारण एवं गोदाम, वाणिज्यिक केन्द्र, माध्यमिक स्तर के विद्यालय, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधाओं व जनउपयोगी सुविधाओं इत्यादि हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 133 हैक्टेयर है। इस योजना क्षेत्र के क्षितिज वर्ष 2031 के लिए 5400 जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है।

(द) परिधि नियन्त्रण पट्टी योजना क्षेत्रः-

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियन्त्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किए जाने आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अन्तर्गत किया जा सकेगा । परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र,राज्य मार्ग सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट,फार्म हाउस,मोटल,प्राथमिक लघु उद्योग जैसे, क्रेशर, ईंट एवं चूना भट्टा इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4146.83 हैक्टेयर है।

5

भू –उपयोग योजना

मास्टर प्लान में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की प्रवृति, भौतिक अवरोध, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता को मध्येनज़र रखते हुए कस्बे के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र के रूप मे रूपान्तरित किया गया है। रामगढ़ कस्बे के मास्टर प्लान का उद्देश्य कस्बे को सन्तुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करना है। इस प्रकार भू-उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया-कलापों के चयन और उनके चरणबद्ध विकास का एक दस्तावेज हैं।

प्रस्तावित भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय भू-उपयोगों हेतु उपयुक्त जन घनत्व के मानदण्डों का आंकलन कर क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल आंकलित किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भू-उपयोगो हेंतु कुल 733.17 हैक्टेयर भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भू-उपयोग योजना वर्ष 2031 को तालिका-13 में दर्शाया गया है :-

तालिका-13

प्रस्तावित भू-उपयोग, रामगढ़ 2031

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	396.27	55.04	54.05
2.	वाणिज्यिक	36.05	5.01	4.92
3.	औद्योगिक	24.51	3.40	3.34
4.	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	10.39	1.44	1.42
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	89.56	12.44	12.22
6.	आमोद-प्रमोद	26.94	3.74	3.67
7.	परिसंचरण	136.28	18.93	18.58
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	720.00	100.00	98.20
8.	फलोद्यान, डेयरी एवं कृषि	12.53	-	1.71
9.	तालाब, नालें	0.64		0.09
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	733.17	-	100.00

स्त्रोत :- कन्सलटेन्ट का आंकलन

5.1 आवासीय

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय इकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे छोटे चरण को भारतीय परिवेश में मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे मौहल्लों में सामान्यतः 50-100 परिवार निवास करते हैं। इन मौहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुल मौहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना इकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000-2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप में छोटी दुकानें, लधु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार से चार से पाँच योजना इकाइयाँ मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र बनता हैं। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान होता हैं। इस प्रकार रामगढ़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की अनुमानित 53,000 जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा गया हैं। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएँ जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाऐं बनाकर किया जायेगा। रामगढ़ कस्बे का आवासीय जनघनत्व वर्ष 2031 में लगभग 75 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है।

क्षितिज वर्ष 2031 तक अनुमानित 53000 जनसंख्या के लिए भू उपयोग योजना में आवासीय 396.27 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 55.04 प्रतिशत है। भू उपयोग योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के समीप कार्य केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के पश्चिम व पूर्व में व बिसाऊ रोड के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र एवं सुविधाएँ प्रस्तावित की गयी हैं। इनके पास ही चिकित्सा, शैक्षणिक, वाणिज्यिक एवं सामुदायिक सुविधायें प्रस्तावित की गई हैं। इसी प्रकार रिंग रोड़ के सहारे राजकीय कार्यालय व सभी सुविधाओं के साथ आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र में प्रस्तावित वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आवास स्थल के रूप में विकसित किये जायेगें। रीको औद्योगिक क्षेत्र के समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय उपयोग प्रस्तावित किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि कार्यस्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, ताकि कार्य करने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े।

प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के लिये दो प्रकार के आवासीय घनत्व क्रमशः 175 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर तक एवं 175 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से अधिक प्रस्तावित किये गये हैं। भू-उपयोग में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के आवास हेतु 27.3 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित भंडारण एंव थोक व्यापार क्षेत्र के पूर्व एंव दक्षिण दिशा में अफोर्डेबल आवासीय क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गयी है। कस्बे के आवासीय एवं प्राचीन हवेलियों के अन्दर व आसपास के क्षेत्र में चल रहे उद्योगों को, औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस कारण विद्यमान छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को प्रस्तावित भू उपयोग योजना मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है।

5.2 वाणिज्यिक

रामगढ़ ग्रामीण पृष्ठ क्षेत्र (Rural Hinter land) हेतु वाणिज्यिक और व्यापार के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में प्राचीन समय से ही पहचान बनाये हुए है। पर्यटन केन्द्र के रूप में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह अनुमान है कि भविष्य में भी यह वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि क्षितिज वर्ष 2031 तक कस्बे के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में रोजगार के अवसर बढ़ेगें। इन सुविधाओं का वितरण इस प्रकार किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों से वाणिज्यिक केन्द्रों तक आवागमन की दूरी को न्यूनतम किया जा सके। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए पदानुक्रम रूप में वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रस्तावित किया गया है।

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्र 36.05 हैक्टेयर है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 5.01 प्रतिशत है। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डारण आदि प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। विस्तृत योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस सेन्टर इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे। वर्ष 2031 हेतु तालिका-14 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है :-

तालिका-14

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, रामगढ़ 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर.में)
1.	विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ	**15.12**
2.	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)	
	1. रूईयॉ महाविद्यालय के उत्तर में	1.39
	2. रेल्वे स्टेशन के समीप	2.02
	3. औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में	2.63
	4. पुराने बस स्टेण्ड के दक्षिण में जाने वाली सड़क पर प्रस्तावित 24 मीटर सड़क के दक्षिण में	1.71
	5. गौशाला के पूर्व में	1.88
	योग	**9.63**
3.	विशिष्ट एवं थोक बाजार	**7.00**
4.	गोदाम व भण्डारण	**4.30**
	वर्तमान व प्रस्तावित क्षेत्र	**36.05**

स्त्रोत :-कन्सलटेन्ट का आंकलन

5.2 (1) विद्यमान शहरी केन्द्र एंव अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ

कस्बे के आन्तरिक भाग एवं प्रमुख मार्गों पर विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियाँ रामगढ़ के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य केन्द्र है। इस सघन विकसित क्षेत्र में और अधिक विस्तार की सम्भावना नहीं है। अतः यह क्षेत्र पुराने शहर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में

अपनी सतत सेवायें प्रदान करता रहेगा तथा कस्बे के मुख्य खुदरा व्यापार केन्द्र के रूप में यथावत बना रहेगा ।

यातायात की दृष्टि से कस्बे का आन्तरिक भाग व्यस्यतम क्षेत्र है, तथा यहाँ कोई ट्रक स्टैण्ड एवं गोदाम की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। सब्जी, फल इत्यादि व्यावसायिक गतिविधियाँ स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों में भी नियोजित तरीके से समायोजित की जायेगी। नये परिसरों को सुनियोजित योजना बनाकर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.2 (2) वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)

वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण करने एवं क्षेत्र के भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 9.63 हैक्टेयर भूमि में 5 वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं, जो आवासीय क्षेत्रों के समीप हैं। इन क्षेत्रों को प्रस्तावित भू उपयोग योजना मानचित्र 2031 में दर्शाये गये हैं।

उक्त प्रस्तावित, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। इसके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, सामुदायिक सभागार, होटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी। इससे नागरिकों को, कस्बें की आबादी के सघन क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेंगी।

5.2 (3) विशिष्ट एवं थोक व्यापार व भण्डारण

कस्बे में लोहा, लकड़ी एवं भवन सामग्री, कृषि उपज इत्यादि के थोक व्यापार की सम्भावित मॉग को पूरा करने की दृष्टि से 7.00 हैक्टेयर भूमि, औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर दिशा में बाह्य मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्ताव वस्तुओं के विस्तृत पैमाने पर लदान एवं भारी यातायात के कुशल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इसके समीप ही 4.30 हैक्टेयर भूमि भण्डारण व गोदाम हेतु प्रस्तावित की गयी है।

5.3. औद्योगिक

रामगढ़ में, रीको द्वारा पलाश सड़क पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। यहाँ पर मुख्यतः हैण्डी क्राफ्ट से सम्बन्धित सामान का उत्पादन किया जाता है। कस्बे को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने पर हैण्डीक्राफ्ट के सामान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। पुराने कस्बे में संचालित औद्योगिक इकाइयों को इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक उपयोग हेतु लगभग 24.51 हैक्टेयर भूमि है, जो विकास योग्य क्षेत्र का 3.40 प्रतिशत है।

5.4 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय

भविष्य में इस कस्बे की प्रशासनिक सेवाओं में विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए, भू-उपयोग प्रस्तावों में इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय सरकारी भवनों में अलग अलग स्थलों पर कार्यरत हैं। राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालयों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के पूर्व व प्रस्तावित पूर्वी प्रमुख मार्ग के उत्तर में कब्रिस्तान के दक्षिण में लगभग 8.37 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

इस प्रकार कस्बे में योजना अवधि वर्ष 2031 तक विद्यमान एवं प्रस्तावित क्षेत्र दोनों को मिलाकर इस भू-उपयोग में 10.39 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान रखा गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 1.44 प्रतिशत होगा।

5.5 आमोद-प्रमोद

किसी भी कस्बे में उद्यान एवं खुले स्थान पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। रामगढ़ में, उद्यान एवं खेल के मैदानों का अभाव है। स्थानीय स्तर एवं नगर स्तर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु पार्क एंव खुले स्थानों का युक्तिसंगत रूप से प्रावधान किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में प्रस्तावित तीनों योजना क्षेत्रो में पार्क व खुले स्थल हेतु पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गये है। पश्चिमी योजना क्षेत्र में ओद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में स्टेडियम हेतु स्थल प्रस्तावित किया गया है। स्टेडियम में कस्बे में आयोजित होने वाले मेले जैसे दशहरा मेला, उद्योग मेला, खादी मेला, हाट बाजार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकेगें। विस्तृत आवासीय योजनाएँ तैयार करते समय उनमें स्थानीय स्तर के

उद्यानों के लिए उचित प्रावधान रखा जायेगा। इस उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित एवम, विद्यमान को कुल 26.94 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल विकास योग्य क्षेत्र का 3.74 प्रतिशत है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएँ

कस्बे का एकीकृत विकास करने के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों तथा धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इन सुविधाओं हेतु स्थलों का प्रावधान आवासीय क्षेत्रों का वितरण, क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया हैं। इस भू-उपयोग हेतु 89.56 हैक्टेयर भूमि, विद्यमान एवं प्रस्तावित है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 12.44 प्रतिशत है।

5.6 (1) शैक्षणिक सुविधाएँ

रामगढ़ कस्बे में अनुमानित जनसंख्या हेतु भविष्य में शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर ईदगाह के सामने व्यावसायिक/अनुसंधान महाविधालय व प्रस्तावित बस स्टेण्ड के उत्तर में पूर्व की ओर जाती हुई 18 मीटर चौडी प्रस्तावित सड़क के उत्तर में महाविद्यालय हेतु भूमि चिन्हित की गई है। इसके अतिरिक्त उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भी 4 स्थलों पर भूमि प्रस्तावित की गई है। इस उपयोग में कुल 18.21 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई हैं।

5.6 (2) चिकित्सा सुविधाएँ

रामगढ़ कस्बे में चिकित्सा सेवाओं का अभाव है। कस्बे में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीड़भाड वाले इलाके में संचालित है। कस्बे की क्षितिज वर्ष 2031 के लिए अनुमानित जनसंख्या के लिए एक सामान्य चिकित्सालय हेतु एवं तीन स्थान चिकित्सा सुविधाओं हेतु औद्यौगिक क्षेत्र के उत्तर में, रूईयॉ महाविद्यालय के उत्तर में, चूरू गेट से उत्तर में जाने वाली प्रस्तावित 18 मीटर चौडी सड़क कें पश्चिम में प्रस्तावित किये गये हैं। इस उपयोग में कुल 10.92 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई हैं।

5.6 (3) धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल

रामगढ़ कस्बे में धार्मिक स्थल प्राचीन विरासत समेटे हुए हैं, प्राचीन (100-150 वर्ष पुराने) मन्दिर इस कस्बे में, पूर्वजों की धार्मिक भावना को संजोये हुए है। रामगढ़ के सेठों द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में मन्दिरों का वास्तुकला के साथ भित्ति चित्रों से सजाते हुए कलात्मक निर्माण करवाये गये थे।

रामगढ़ का ऐतिहासिक व पुरातात्विक पृष्ठभूमि, प्रान्त व देश की अनुपम व अमूल्य धरोहर है। इसमें उक्त वर्णित मन्दिरों के अलावा छतरियाँ, कुऐं, हवेलियाँ कस्बे के चारों दिशाओं में चार पक्के जोहड़े (बावड़ी नुमा) एवं कदम-कदम पर उत्कृष्ट वास्तु से भरपूर अन्य स्मारक देखने को मिलते हैं। इनको चिन्हित कर इनका संरक्षण प्रस्तावित है।

5.6 (4) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए कस्बे में, प्रत्येक योजना क्षेत्रों में पर्याप्त स्थलों हेतु भूमि प्रस्तावित की गई हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 22.72 हैक्टेयर हैं।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान, विकास योजना का अभिन्न अंग हैं। इन सुविधाओं की शिक्षा व खेलकूल में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की सम्भावनाओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए इन हेतु, स्थल प्रस्तावित किये जायेंगे।

सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए मास्टर प्लान क्रियान्वयन के समय सेक्टर प्लान बनाते समय प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र में इन सामाजिक/सांस्कृतिक भवनों के लिए पर्याप्त भूमि के प्रावधान रखे जायेंगे, जिससे इन स्थलों में विभिन्न वर्गों के लिए धर्मशाला, सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, रंगमच आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेगें।

5.6 (5) जनोपयोगी सुविधाएँ :-

पेयजल की आपूर्ति, जल-मल निकास व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। यह आवश्यक है कि इन समस्याओं के हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जाये। जनोपयोगी सुविधाओं के लिए 20.98 हैक्टेयर भूमि आरक्षित रखी गयी है जो कि प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शायी गयी है।

5.6 (5) अ. जलापूर्ति :-

वर्तमान में उपलब्ध जल संचय क्षमता और सभी उपलब्ध पेयजल स्त्रोतों तथा जल वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाना आवश्यक है। साथ ही भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें अभिवृद्धि किये जाने की भी आवश्यकता है। पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूबवेलों एवं जलाशयों के निर्माण द्वारा और वितरण व्यवस्था में सुधार कर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जहाँ कहीं भी सम्भावनाएँ विद्यमान हों, वहाँ वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था का, विस्तार किया जा सकता है। कस्बे की पेयजल की बढ़ती हुई मॉग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि भावी जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति बढाने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य एवम् अभियांत्रिकी विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करें ताकि मानक स्तर 100 से 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर से जलापूर्ति उपलब्ध करवायी जा सके।

5.6 (5) ब. जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :-

शहर में जल मल निस्तारण प्रणाली की समुचित व्यवस्था का अभाव है। नगरपालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नालियों का निर्माण भी टुकड़ों में करवाया जाता है। जिससे सुव्यवस्थित रूप से पानी की निकासी नहीं हो रही हैं। नालियों पर अतिक्रमण ही पानी की निकासी के लिए बाधक है। नगर के गन्दे पानी के निकास व नालियों के निर्माण की कोई नियमित योजना नहीं बनी हुई है। नगर में खुली नालियॉं होने से गन्दा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे वातावरण और आवागमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः जनस्वास्थ्य एवम् अभियांत्रिकी विभाग, स्थानीय नगर पालिका एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण रामगढ़ नगरीय क्षेत्र के लिए, एक एकीकृत जल एवं मल निकास योजना तैयार की जानी प्रस्तावित हैं।

ऐसी योजना नगर की आकृति, बसावट एवं ढलान तथा विभिन्न दिशाओं के विकास स्तरों को ध्यान में रख कर तैयार की जानी चाहिए। कूड़े करकट और गन्दगी के ढेरों को ठीक प्रकार से साफ कराने की व्यवस्था के साथ-साथ अच्छे वातावरण, और रहने की जगह को स्वच्छ रखने का कार्य होना आवश्यक है। इस गन्दगी और कूड़ा करकट के निस्तारण के स्थल कस्बे से दूर होने चाहिए। स्थानीय नगरपालिका द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र, तालाबों आदि पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए, परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का चयन कर, व्यवस्थित कचरा निस्तारण स्थल, विकसित किया जाना चाहिए। पुर्नचक्रण किये जा सकने योग्य कचरें को पृथक कर इसका पुनः उपयोग करने हेतु भी प्रयास किया जाना चाहिए। नगरपालिका प्रशासन द्वारा नगर की सड़कों पर से, गन्दगी के ढ़ेर को साफ करने के लिए तकनीकी यन्त्रों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है। प्राचीन जोहड़े, जो स्वच्छ जल से भरे रहते थें। वर्तमान में कस्बे का गन्दा, दूषित जल एकत्रित हो रहा है। इनमें प्रदूषित जल के आवक को योजनाबद्ध रूप से रोका जाकर, प्रदूषित होने से बचाना आवश्यक है। ठोस कचरा संग्रहण हेतु राजस्व ग्राम नेवटा में लगभग 10.0 हैक्टेयर भूमि पर स्थल विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 (5)स. विद्युत

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की मॉग भी बढ़ेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस कस्बे को उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे, ताकि इसकी भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

5.6 (6) श्मशान एवं कब्रिस्तान

रामगढ़ में स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा गया है। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकतानुसार परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थल का चयन किया जा सकता है।

5.7 परिसंचरण

यह कस्बा अपने पृष्ठ क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र का काम करता रहेगा और यहाँ पर पर्यटन, उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय जैसी आर्थिक क्रियाएँ विकसित होने के साथ वृद्धि का अनुमान है। अतः कस्बे के लिए अपने प्रदेश से वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल पदानुक्रम में मार्गों की व्यवस्था की आवश्यकता है।

5.7 (1) प्रस्तावित यातायात संरचना

कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु विभिन्न नगरीय स्तर के मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। सीकर से चुरू की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के पश्चिम में 60 मीटर चौड़ा पश्चिमी बाह्य मार्ग प्रस्तावित किया गया है। ताकि भारी वाहनों का आवागमन शहर के बाहर से ही इस मार्ग द्वारा सुगमता से हो सके। रामगढ़ कस्बे के वर्तमान आबादी क्षेत्र की विभिन्न संकरी सड़कों को आपस में जोड़ते हुए एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के पूर्व में पूर्वी प्रमुख मार्ग 30 मीटर चौड़ाई की प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित बाह्य मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 30 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गयी है। वर्ष 2031 हेतु प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार तालिका-15 में दर्शाया गया है :-

तालिका-15

प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, रामगढ़ -2031

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग व बाह्य मार्ग	60 मीटर
2.	प्रमुख सड़कें	30 मीटर
3.	उपप्रमुख सड़कें	24 मीटर
4.	मुख्य सड़कें	18 मीटर
5.	अन्य सड़कें	18 मीटर से कम

5.7 (1) अ. सड़कों का सुधार

निधारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें, जिन्हें भू-उपयोग योजना में प्रमुख तथा मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही होगा। सघन आबादी क्षेत्रों में जहाँ सड़कों को चौड़ा करना सम्भव नहीं हो, वहाँ पूर्व स्वीकृतियों के अनुसार अपेक्षाकृत एक श्रेणी तक निम्न स्तर के मानदण्ड अपनाये जा सकते हैं। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 (1) ब. प्रस्तावित चौराहा सुधार

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतन्त्र रूप से परिसंचरण में जो बाधाएँ आती हैं, उनमें चौराहों का अनुचित आकार, डिजाईन एवं अपर्याप्त चौराहों के निर्माण के कारण, भीड-भाड तथा यातायात अवरूद्ध होना स्वाभाविक है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, रामगढ़-2031 को तालिका-16 में दर्शाया गया है :-

तालिका-16

प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, रामगढ़ -2031

क्र.सं.	चौराहा
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग 65 व प्रस्तावित बाह्य मार्ग चौराहा (उत्तर की ओर)
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग 65 व प्रस्तावित बाह्य मार्ग चौराहा (दक्षिण की ओर)
3.	बिसाऊ सड़क व प्रस्तावित पूर्वी प्रमुख मार्ग चौराहा
4.	मण्डावा रोड़ व प्रस्तावित पूर्वी प्रमुख मार्ग चौराहा

5.7 (1) द. पार्किंग व्यवस्था

रामगढ़ में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों की पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन गम्भीर रूप लेती जा रही हैं। शहर के पुराने आबादी क्षेत्रों/व्यावसायिक केन्द्रों में यह एक विकट समस्या है। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि इन क्षेत्रों में जहाँ भी खुले स्थल/खाँचा भूमि उपलब्ध है, उन्हें चिन्हित कर पार्किंग के रूप में विकसित किया जावेगा। नये व्यावसायिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएँ तैयार करते समय उनमें पर्याप्त पार्किंग का प्रावधान किया जावेगा। ट्रक टर्मिनल, थोक व्यापार एवं भण्डारण गोदाम, बस स्टेण्ड के लिये प्रस्तावित स्थलों में उचित पार्किंग स्थलों का प्रावधान किया जायेगा।

5.7 (2) बस एवं ट्रक टर्मिनल

रामगढ़ कस्बे में यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान बस स्टेण्ड कस्बे के समीप स्थित है। इसमें जाने के लिए सड़क की चौड़ाई नगरीय मानदण्डों के अनुसार नहीं है एवं नियोजित बस स्टेण्ड का अभाव है। अतः नवीन बस स्टेण्ड हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर स्थल प्रस्तावित है। परिवहन सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के पश्चिम में ट्रक टर्मिनल में मरम्मत की दुकानें, ऑटो मोबाईल दुकानें, वाहन पार्किंग स्थल, बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा

रामगढ़ मीटर गेज रेल्वे लाइन पर स्थित है। जो इसे जयपुर, सीकर, चुरू आदि शहरों से जोड़ती है। इसका आमान परिवर्तन किया जाकर इसे ब्राडगेज रेल लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि देश के प्रमुख शहरों से भली-भाँति इस कस्बे का संपर्क स्थापित हो सके। इससे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इस शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा इस क्षेत्र में ओद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों का विकास भी होगा। निकटतम निधारित हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है।

5.7 (4) पर्यटन एवं विरासत संरक्षण

रामगढ़ राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख शहर झुन्झनु, फतेहपुर,नवलगढ, मंडावा, मुकन्दगढ आदि में यहाँ के सेठों द्वारा निर्मित आकर्षित हवेलीयों,

मन्दिरों, छतरियों, बावडियों, तालाबों हेतु प्रसिद्व हैं तथा पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। इन हवेलियों की नक्काशी व चित्रकला शैली विश्वविख्यात है। रामगढ़ क्षेत्र में भी हवेलियों, गुम्बदों, मन्दिरों को विभिन्न विषयों पर आधारित चित्रो से संजोया गया है। सेठ रामगोपाल जी की छतरी के गुंबद पर सचित्र रामायण, सेठ फकीर चन्द की छतरी पर बारह ऋतुओं का चित्रण, मन्दिरों में राग-रागनियो,ढोला मारू व पौराणिक कथाओं आदि के भित्ती चित्र ऊंकेरे गये हैं। शनिदेव मन्दिर की दीवारों को कांच से सजाया गया है।

इन प्राचीन स्थलों में अधिकांशतः निजी क्षेत्र में हैं जिनका समुचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा है। अतः इस शेखावटी क्षेत्र में पर्यटन विकास एवं विरासत संरक्षण हेतु एक योजना बनायी जानी चाहिए।

इस योजना के अन्तर्गत निम्न बिंदुओं का समावेश करते हुए एकीकृत योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

1. शेखावाटी क्षेत्र के इन शहरों को सुगम सड़क मार्ग द्वारा तथा ब्राडगेज रेल लाइन द्वारा देश व राज्य के प्रमुख शहरों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि पर्यटकों को आने जाने में सुगमता हो सके।
2. प्राचीन स्मारकों / हवेलियों/ ऐतिहासिक मन्दिरों को सूचीबद्व किया जाकर उनके संरक्षण हेतु विरासत संरक्षण योजना के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए।
3. पर्यटन विभाग द्वारा शेखावाटी पर्यटन सर्किट बनाया जाना, इसका देश-विदेश में प्रचार-प्रसार कर पर्यटकों हेतु ट्यूर पैकेज बनाये जाने चाहिए।
4. इस क्षेत्र में पर्यटकों के ठहरने व खान-पान की व्यवस्था हेतु होटलों/विश्रामगृहों के निर्माण हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
5. इस क्षेत्र के हैन्डीक्राफ्ट विशेषतः लकड़ी के कार्य, पेन्टिंग,गोटा-नक्काशी कार्यो को प्रोत्साहित करने हेतु हैन्डीक्राफ्ट बाजार व लधुउधोग केन्द्र विकसित किया जाना चाहिए।
6. इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को पर्यटकों से परिचय करवाने के लिए ऐसे अवसरों पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम/मेलो का आयोजन कर उनका प्रचार-प्रसार किया जाकर देशी-विदेशी पर्यटकों को नगर की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए।

5.8. परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अनियन्त्रित एवं अनियोजित विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया हैं। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को नियोजित बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। इस उपयोग के अन्तर्गत 4146.83 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण

रामगढ़ कस्बें के लिए पर्यावरण संरक्षण हेतु नालों के पास, कब्रिस्तानों, जोहड़ों के पास,योजना क्षेत्र के बाहर N.H. 65 के दोनों तरफ व बाह्य मार्ग पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू-जल दोहन, अनियंत्रित खनन् आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है,इससे भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार है। अतएव पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित बाह्य मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 15-15 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गयी है। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान व कब्रिस्तान भूमि ओरण, गोचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में

वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्त्रोत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरन्तर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुंडो, कुंओ आदि जल स्त्रोतों का संरक्षण वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की पुर्नचक्करण से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक अर्द्ध-सार्वजनिक व वनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग-बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपरोक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

6

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

रामगढ़ के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाये। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक, मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 प्रस्तावित आधार

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा (7) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान स्वीकृत करने के पश्चात मास्टर प्लान का क्रियान्वयन नगर पालिका रामगढ़ द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतिलिपि नगर पालिका रामगढ़ द्वारा प्राप्त होने के पश्चात कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि रामगढ़ के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जायेंगे।

अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका रामगढ़ में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका, रामगढ़ से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेंगी।

नगरपालिका, रामगढ, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा नगर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजना सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किया जाना प्रस्तावित हैं। मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका, रामगढ़ का रहेगा, जबकि क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही, नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.3 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

रामगढ़ के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

''मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की भू–उपयोग योजना-2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है । सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृति यथा 90-बी के आदेश, आवंटन, भूमि रुपांतरण व नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नही हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा।''

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया होतो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/ रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूखे रह गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू उपयोगों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होने की स्थिति में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जायगी जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.4 उपसंहार

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। रामगढ़ का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएँ विकसित कर, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि कर और रामगढ़ को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्तिः-

(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नगरपालिका सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तुः-

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जायेगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उस ढांचे के, जिसमें विभिन्न जोनो की सुधार स्कीमें तैयार की जाये, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाः-

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप से कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हो, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमो द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संबंध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जानाः-

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात्, यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिये नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगा।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणो के बिना या ऐसे उपान्तरणो के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीखः-

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात, राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदित कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख मे प्रवर्तन में आ जावेगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4(32) LSG/A/59 dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazettee, Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962, Page 118.]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules namely:-

Rules

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called " The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962"
2. Definitions.- In these rules, unless the subject or context otherwise requires: -

(1) "Act" means The Rajasthan urban Improvement Act, 1959 (Act No.35 of 1959)

(2) "Trust means a Trust as constituted under the Act, 1959 (Act No.35 of 1959)

(3) " Section" Means a section of the Act,

(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in act.

3. Manner of publication of draft master plan and the contents there of under section 5 (i)

1 ["(1) The draft master plan prepared by the officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the draft master plan has been inadequate,this period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections / suggestions with respect to the draft of the master plan].2

1. Subsititued by clause 2 of Notification No. F.3 (123) TP / 36]date 24.2.1970 vide C.S,R. 96 pub. In Raj. Gaz.Extra-ordi: part iv –C, dated 24.2.1970 at page 329-331
2. Amended & Added vide Noti. No. F.7 (19) TP /11/76 dated 21.9.1979 R.G. pt IV –C (i) date 27.9.1979 page 339

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft master plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the master plan.

(3) The Draft master plan shall orginally consist of the following maps, plans and documents, namely:-

(a) Town map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

(b) Base map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, Industrial, public and semi-public uses etc.

(c) Draft master paln showing broadly the proposed land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, Industrial, public and Semi-public uses etc.

(d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or as the State Government may direct the Officer the Authority in this regard.

4. Approval of master plan by the State Government under section 6:-

1 [(1) After considering the objections, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under section 3 to prepare the Master plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under section 3 (2) of the Act finalise the Master plan and submit the same 2 [if constituted] to the State Government for approval.

(2) When the master plan has been approved by the State Government it shall be published in the Official Gazette, a notice in form 'B' stating that the Master plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust / Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day."]

1. Subsititued by clause 3 of the Notification No. F. 3 (23) TP /63.date 24.2.1970 vide G.S.R. 96 /pub .in Raj. Gaz Extra –ordi. Part IV-C dated 24.2.1970 at page 329-331.

2. Amended & Added vide Notification No. F.7 (19) TP/11/76 date 21.09.1979 R.G.Pt. IV-C (i) date 27.09.1979 Page 339.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(199) नविवि/3/10 जयपुर, दिनांकः 10 अगस्त 2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा(3) की उप धारा(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन, जयपुर, को रामगढ़ (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः-

क्र.सं.	**ग्रामों का नाम**	**तहसील**
1.	रामगढ़ (RAMGARH)	रामगढ़, (जिला सीकर)
2	रूकनसर (RUKANSAR)	रामगढ़, (जिला सीकर)
3	ढ़ेडी ढ़ाणी (DHEDI DHANI)	रामगढ़, (जिला सीकर)
4	ढ़ाणी खरेंटा (DHANI KHRENTA)	रामगढ़, (जिला सीकर)

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(199)न.वि.वि./3/2010 जयपुर दिनांक 17.11.2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य नियम, 1962 के नियम 4) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत ये नोटिस दिया जाता है की राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.08.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित" रामगढ़ (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र" के लिये तैयार किये गये मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया है।

रामगढ़, मास्टर प्लान 2031 की प्रति का निरीक्षण नगर पालिका, नगर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0
(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव–प्रथम